



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102024-258309
CG-DL-E-29102024-258309

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 608]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 28, 2024/कार्तिक 6, 1946

No. 608]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 28, 2024/KARTIKA 6, 1946

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2024

सा.का.नि. 666(अ).—स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. 922(अ) दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 द्वारा प्रकाशित हुई-

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ के अंतर्गत, "(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औषधि (संशोधन) नियम, 2023 है" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औषधि (द्वितीय संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) नोट में "अधिसूचना संख्या सा.का.नि. (अ) दिनांक....." शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:- "अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 410 (अ), दिनांक 2 जून, 2023"।

[फा. सं एक्स-11014/2/2017-डीआरएस]

राजीव वधावन, सलाहकार (लागत)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
CORRIGENDUM

New Delhi, the 25th October, 2024

G.S.R. 666(E).—In the notification of the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section(i) *vide* G.S.R. 922(E) dated the 28th December, 2023-

(1) Under Short title and commencement **for the words** “(1) These rules may be called the Drugs (..... Amendment) Rules, 2023” **the following shall be substituted as**, :- (1) These rules may be called the Drugs (Second Amendment) Rules, 2023.

(2) in the Note **for the words** “notification number G.S.R (E), dated.....” **the following shall be substituted as**, :- “notification number G.S.R 410 (E), dated 2nd June, 2023”.

[F. No. X-11014/2/2017-DRS]

RAJIV WADHAWAN, Adviser (Cost).